एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे. और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जे.

मैसर्स सनडर मार्केटिंग एसोसिएट्स-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. No.20986

1 जून, 2017

भारत का संविधान, **1950-अनुछेद-14** और **226-**खान और खनिज **(**विकास और विनियमन**)** अधिनियम**, 1957-खंड 15-**विशिष्ट राहत अधिनियम**, 1963-खंड 20-** हरियाणा लघु खनिज रियायत**,** भंडारण और खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम**, 2012-**आर**.** एल**. 9,16 (1)** और **(2)-**भारतीय साक्ष्य अधिनियम**, 1872-खंड,** खनन कार्यों के लिए बोलियों का निमंत्रण-पात्रता को चुनौती दी गई-प्रस्तावित नीलामी-नीलामी में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति वापस लेना-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टे के विलेख को आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा शून्य घोषित करना-माना गया**,** पट्टे का हस्तांतरण पहले **5** वर्षों के लिए अनुमेय नहीं था**,** हालांकि आधिकारिक प्रतिवादी को एक भागीदार/भागीदार को शामिल आदेश की अनुमति देने का अधिकार था। प्राइवेट लिमिटेड के पास **51** प्रतिशत शेयर हैं-इसलिए**,** याचिकाकर्ता पहली बार में पात्र नहीं थे-पूर्व-योग्यता मानदंड आवश्यक और अनिवार्य था**, 51** प्रतिशत के हस्तांतरण की अनुमति देना निमंत्रण की शर्तों के विपरीत था क्योंकि केवल **49** प्रतिशत शेयरों को स्थानांतरित किया जा सकता था**-5** साल की अवधि के बाद पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देना एक शर्त के रूप में केवल यह सुनिश्चित आदेश के लिए था कि पक्ष लाइसेंस/पट्टे में सट्टा/व्यापार के रूप में बोलियां जमा नहीं करते हैं-सार्वजनिक कानून पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति का उल्लंघन आदेश के लिए अनुबंध को रद्द आदेश को उचित ठहराता है क्योंकि यह इसी तरह स्थित अन्य बोलीदाताओं को वाणिज्यिक उद्यम में भाग लेने से रोकता है-यह भी माना गया कि प्रत्येक पूर्व-योग्य पक्ष ने पहले की नीलामी में भाग लिया था या नहीं।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता स्वयं योग्य नहीं हैं वे 60/100 के योग्यता अंक को पूरा नहीं करते हैं।यहां तक कि योग्यता की सीमा को भी अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है। खंड 8.6 काफी विस्तार से निर्धारित करता है कि योग्यता का मूल्यांकन किस तरीके से

किया जाना है।इसके अलावा, खंड 8.4 में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतियों द्वारा से मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है।इस समिति में इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल थे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं की योग्यता के मूल्यांकन के लिए समिति शामिल नहीं थी।कार्य की प्रकृति और पूर्व-योग्यता मानदंड के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो न केवल आवश्यक था बल्कि अनिवार्य भी था।

(पैरा 66) ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने आधिकारिक प्रतिवादी को यह विकल्प दिया कि या तो जे. वी. में के. जे. एस. एल. के 51 प्रतिशत हिस्से को याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए या याचिकाकर्ताओं को के. जे. एस. एल. के स्थान पर पूर्व-योग्य पक्ष को शामिल करने की अनुमति दी जाए।विकल्प निमंत्रण के नियमों और शर्तों और कानून के प्रावधानों के विपरीत थे।

(पैरा 69) ने आगे कहा कि खंड 36 पहली बार में लागू नहीं होता है क्योंकि संयुक्त उद्यम और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया गया था।हालांकि, खंड 36 में पट्टा शब्द उन मामलों में भी लागू होगा जहां पट्टा प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट हो गया था।इसके विपरीत एक दृष्टिकोण एक बोलीदाता को पट्टे से पहले अपनी इच्छानुसार अपने हिस्से का हस्तांतरण करने में सक्षम बनाएगा जिससे खंड 36 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(पैरा 72) ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति पांच साल की अवधि के बाद दी गई है, यह इंगित नहीं करता है कि खंड में अनुबंध की एक आवश्यक अवधि शामिल नहीं है।खंड स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल वही व्यक्ति इसके लिए कार्य बोली को निष्पादित करने के बारे में गंभीर हैं।दूसरे शब्दों में, इस शर्त का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टियां लाइसेंस/पट्टों में सट्टा लगाने/व्यापार के लिए बोलियां प्रस्तुत न करें।

(पैरा 75) ने आगे कहा कि, प्रत्येक पूर्व-योग्य पक्ष, चाहे उसने पहले की नीलामी में भाग लिया हो या नहीं, दिनांकित 05.08.2015 समझौते को चुनौती देने का हकदार होगा।यदि चुनौती बरकरार रहती है तो यह पार्टी को नई नीलामी में भाग लेने का अधिकार देगा।यदि

पूर्व-योग्यता मानदंडों को कम कर दिया जाता है जैसा कि वे याचिकाकर्ताओं के मामले में थे, तो और भी अधिक पक्ष होंगे जो इसके हकदार होंगे जिससे उनमें नई प्रक्रिया में भाग लेना।दिनांकित 05.08.2015 समझौते में प्रवेश करके आधिकारिक प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के समान स्थित कई अन्य पक्षों को हरियाणा राज्य के वाणिज्यिक उद्यमों में भाग लेने से रोक दिया है।

(पैरा 83) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि, सार्वजनिक विधि सिद्धांत या निर्गम वास्तव में पट्टे को हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए अनुबंध को रद्द करने और प्रतिवादी के पक्ष में 05.08.2015 दिनांकित समझौते को उचित ठहराता है क्योंकि उन्होंने अन्य बोलीदाताओं को आधिकारिक प्रतिवादी के वाणिज्यिक उद्यम में भाग लेने से रोक दिया था।यदि याचिकाकर्ताओं के समान योग्यता वाले अन्य लोगों पर पात्रता की शर्तों पर जोर नहीं दिया जाता तो वे खदानों के लिए बोली लगाने के हकदार होते।

(पैरा 85) ने आगे कहा कि इस तर्क को भी खारिज कर दिया जाता है कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और विलंब के कारण प्रतिवादियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।केजेएसएल की वापसी और 05.08.2015 दिनांकित समझौते के बीच की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं थी।यह विशुद्ध रूप से राज्य और एक निजी पक्ष अर्थात् याचिकाकर्ताओं के बीच एक द्विदलीय व्यवस्था थी।इस प्रक्रिया में अन्य सभी पक्ष शामिल नहीं थे।यह 20 साल का समझौता था।याचिका को अनुमति देना दिनांकित 05.08.2015 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को मंजूरी देने के बराबर होगा।वास्तव में कोई देरी नहीं हुई थी।

(पैरा 89) ने आगे कहा कि, यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्य और उसके साधनों को ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक सिद्धांत के विपरीत सबसे मनमाने तरीके से कार्य करने का अधिकार होगा।नीलामी या एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों के आधार पर एल. ओ. आई. जारी करने और उसके बाद पूरी तरह से अलग मानदंडों, नियमों और शर्तों पर अनुबंध करने के सरल उपाय से सार्वजनिक नीलामी की शर्तों और निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना का उल्लंघन किया जा सकता है।एक बार अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, पक्ष निस्संदेह कुछ संशोधनों के लिए सहमत होने के हकदार होंगे जब तक कि वे प्रामाणिक हैं और अनुबंध के उचित कार्यान्वयन के उद्देश्य से

जो कानूनी रूप से किया गया था जो हमारे सामने मामला नहीं है।उदाहरण के लिए अनुबंध को पूरा करने की तारीख बढ़ाने के कई उचित कारण हो सकते हैं।अनुबंध/एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों के अनुसार काम के दायरे में कमी या उसमें वृद्धि हो सकती है। परीक्षण यह होगा कि क्या स्थिति की अनिवार्यताओं के कारण संशोधन की आवश्यकता थी या क्या यह केवल था।

किसी पक्ष को एन. आई. टी. या सार्वजनिक नीलामी के नियमों और शर्तों को दरकिनार करने में सक्षम बनाना।वर्तमान मामले में एल. ओ. आई. जारी किया गया था।एल. ओ. आई. ने कानून के प्रावधानों और नोटिस के नियमों और शर्तों के अनुसार समझौते के निष्पादन पर विचार किया और वास्तव में इसकी आवश्यकता थी।यह स्वीकार्य रूप से मामला नहीं था क्योंकि 05.08.2015 दिनांकित समझौता उस पक्ष के साथ किया गया था जो योग्य नहीं था।(पैरा 95)

अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

वैभव जैन, अधिवक्ता

और अरुण गुप्ता, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए।

लोकेश सिंहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, प्रत्यर्थियों की ओर से-हरियाणा राज्य।

विनोद S.Bhardwaj, अधिवक्ता

जगदीप सिंह राणा के साथ, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिवक्ता

S.J.VAZIFDAR, मुख्य न्यायाधीश

(1) प्रतिवादी Nos.1 से 4 तक आधिकारिक प्रतिवादी हैं।प्रतिवादी संख्या 2 हरियाणा सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव हैं; प्रतिवादी संख्या 3 खान और भूविज्ञान, हरियाणा के महानिदेशक हैं और प्रतिवादी संख्या

4 खनन अधिकारी, हरियाणा हैं।प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 निजी प्रतिवादी हैं जो आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा आयोजित नीलामी में प्रतिभागी नहीं हैं, लेकिन आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित नीलामी में भाग लेने में रुचि रखने का दावा करते हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 09.08.2016 के कारण बताए जाने के नोटिस और दिनांकित 29.09.2016 के एक आदेश को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई की रिट की मांग की है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं को अपने संयुक्त उद्यम भागीदार मेसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड के हिस्से को याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित करने के लिए आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी गई अनुमति को वापस ले लिया और आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 05.08.2015 पर निष्पादित पट्टा-विलेख को अमान्य घोषित कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को दिनांकित खनन पट्टा 05.08.2015 के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने की अनुमति देने के लिए Nos.1 से 4 परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट की भी मांग की है।

(3) इस निर्णय की शुरुआत मामले का सारांश करने के लिए सुविधाजनक होगा।

(4) आधिकारिक प्रतिवादी ने एक सार्वजनिक सूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों पर खनन अधिकारों की नीलामी की।पहले पाँच वर्षों के लिए पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति नहीं थी।हालांकि, आधिकारिक प्रतिवादी 2012 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार मूल पट्टा धारक की कुल हिस्सेदारी के 49 प्रतिशत तक भागीदार/शेयर धारक को शामिल करने की अनुमति देने के हकदार थे।आधिकारिक प्रतिवादी ने केवल पूर्व-योग्य एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित कीं।पात्रता के लिए एक विस्तृत मानदंड निर्धारित किया गया था। बोली प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक बोलीदाता को 100 में से 60 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।पात्रता का मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जाना था।याचिकाकर्ता अपने आप में योग्य नहीं थे।पात्रता मानदंडों को पूरा आदेश के लिए, उन्होंने मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) का गठन किया। मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जे. वी. में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जे. वी. के पक्ष में आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा

आशय/स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। यह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उनकी स्वतंत्र क्षमता में जारी नहीं किया गया था।जिन कारणों की हम बाद में गणना करेंगे, जे. वी. को अनुबंध को रद्द करने का विकल्प दिया गया था।मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड ने अनुबंध को रद्द करने का फैसला किया और संयुक्त उद्यम द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की मांग की। हालाँकि, याचिकाकर्ता या तो स्वयं या किसी अन्य भागीदार को शामिल करके अनुबंध को लागू करना चाहते थे।आधिकारिक प्रतिवादी और संयुक्त उद्यम भागीदारों ने पत्राचार किया और हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने सहित एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आधिकारिक प्रतिवादी ने मैसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपने पूरे 51 प्रतिशत शेयरों को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की और आधिकारिक प्रतिवादी और याचिकाकर्ताओं के बीच दिनांकित पट्टा/समझौता किया गया।यह वह समझौता है जिसे याचिकाकर्ता वास्तव में इस रिट याचिका में लागू करने की मांग करते हैं।निजी प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती दी।इस रिट याचिका पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि इस बीच आधिकारिक प्रतिवादी ने पट्टे को स्थानांतरित करने की अनुमति और दिनांकित 5.8.2015 पट्टा समझौते को रद्द कर दिया।यह अनुमति और समझौते को रद्द करने का निर्णय है जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(5) इसलिए यह केवल याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच का मामला नहीं है जिसका निर्णय केवल इस बात पर विचार करते हुए किया जा सकता है कि समझौते में प्रवेश करने वाले आधिकारिक उत्तरदाता इसे रद्द करने के हकदार थे या नहीं। प्रतिवादी संख्या 5-निजी प्रतिवादी के अधिकार और विवाद भी विचार के लिए आते हैं व शुरू से ही परेशान था।

(6) हमने इस रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका द्वारा जिस समझौते को लागू करना चाहते हैं, वह निविदाओं को आमंत्रित करने वाले नोटिस के नियमों और शर्तों, कानून के प्रावधानों और ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के प्रावधानों के विपरीत था।

(7) तथ्यों को विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 5.8.2015 समझौते की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया पर दृढ़ता से भरोसा किया है जिसे अब विवादित आदेश द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है।

(8) महानिदेशक (खान)-प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 30.11.2013 पर एक नोटिस जारी कर आम जनता को सूचित किया कि इसमें उल्लिखित जिलों में 'पत्थर और संबंधित लघु खनिजों' की लघु खनिजों की खदानों को खनन पट्टों के अनुदान के लिए नीलामी के लिए रखा जाएगा।नीलामी सूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों के खंड 1 और 36 इस प्रकार हैं:-

"1. केवल विभाग द्वारा पूर्व-योग्य खनन एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने/बोलियों की पेशकश करने की अनुमति होगी।

36. पट्टा अनुदान के पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए पट्टा हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।हालांकि, हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिज परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार एक आवेदन जमा करने पर और खुद को संतुष्ट करने के बाद राज्य सरकार अन्य भागीदारों/शेयरधारकों को 49% शामिल करने की अनुमति दे सकती है।"

(9) नीलामी नोटिस से पहले, याचिकाकर्ताओं और मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम (संक्षिप्त में 'जेवी') दिनांक 18.09.2012 का गठन किया था। संयुक्त उद्यम ने 30.12.2013 पर आयोजित नीलामी में भाग लिया।यह स्वीकार किया जाता है कि संयुक्त उद्यम पूर्व-योग्य था और याचिकाकर्ता स्वयं पूर्व-योग्य नहीं थे।दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता अपने दम पर नीलामी में भाग लेने के योग्य नहीं थे। संयुक्त उद्यम की बोली दादाम खदान के लिए प्रति वर्ष 115 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई, जो 59.60 हेक्टेयर में सबसे अधिक है।आरक्षित मूल्य रु। 6. 25 करोड़।आधिकारिक प्रतिवादी ने मैसर्स के. जे. एस. एल. सुंदर (जे. वी.) यानी संयुक्त उद्यम को संबोधित एक पत्र दिनांक 03.01.2014 जारी किया जिसमें कहा गया है कि उनकी बोली हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम-2012 के प्रावधानों के तहत स्वीकार की गई थी। (इसके बाद 2012 नियम के रूप में संदर्भित)।पैराग्राफ 3 (XXV) नीचे पढ़ा गया है:-

"3(xxv):पट्टा अनुदान के पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए पट्टा हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।हालांकि, हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, परिवहन या खनिज और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार एक आवेदन जमा करने पर और खुद को संतुष्ट करने के बाद राज्य सरकार अन्य भागीदारों/शेयरधारकों को कुल शेयर का 49% शामिल करने की अनुमति दे सकती है।"

(10) 2012 के नियमों के नियम 55 (3) (iii) के संदर्भ में, संयुक्त उद्यम ने कुल रु। 28.75 करोड़ वार्षिक बोली राशि का 25 प्रतिशत है जो प्रतिभूति जमा का गठन करता है।

(11) संयुक्त उद्यम और एक अन्य पक्ष ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे के अनुदान को चुनौती देते हुए 2014 की सिविल रिट याचिका संख्या 2599 और 2014 की 26454 दायर की। (एच. एस. आई. आई. डी. सी.), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमयाचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एच. एस. आई. आई. डी. सी. के पक्ष में पट्टे का खुलासा नहीं किया गया था और पट्टे ने उन्हें गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया क्योंकि यह एक नगण्य कीमत पर दिया गया था जो एच. एस. आई. आई. डी. सी. को निजी पक्षों के लिए उच्च सौदेबाजी शक्ति के कारण अनुचित लाभ में डाल देगा।पट्टे को अन्य आधारों पर भी चुनौती दी गई थी।याचिका का निपटारा इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के दिनांक 04.03.2015 के एक आदेश और फैसले द्वारा किया गया था, जिसमें हममें से एक (S.J.Vazifdar, C. J.) पक्षकार था।रिट याचिका और निर्णय के संबंध में तीन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(12) सबसे पहले यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं ने एच. एस. आई. आई. डी. सी. के पक्ष में पट्टे को इस आधार पर चुनौती दी कि इसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की खंड 15 और 2012 के नियमों के नियम 9 के विपरीत दिया गया था।नियम 16 और 50 भी निर्धारित करना सुविधाजनक होगा जिन्हें मामले में संदर्भित किया गया था।खंड 15 और नियम 9,16 और 50 जहां तक वे प्रासंगिक हैं, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता है:-

खंड 15:

15. राज्य सरकारों की नियम बनाने की शक्ति

लघु खनिजों का सम्मान।—**(1)** राज्य सरकार**,** आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लघु खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए खदान पट्टों**,** खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(1-क) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्ः—

नियम 9:

"9. (1) कोई भी लघु खनिज भंडार, जहां सरकार ऐसे क्षेत्रों को पट्टे के तहत संचालित करने का निर्णय लेती है, इन नियमों के अध्याय 7 के तहत प्रदान की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद 10 साल से कम नहीं बल्कि 20 साल से अधिक की अवधि के लिए खनन पट्टे पर दिया जा सकता हैः

बशर्ते कि सरकार, जहां भी आवश्यक लगे, सार्वजनिक सूचना द्वारा से रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करके, पहले से निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंडों के साथ बोलीदाताओं को पूर्व-योग्य बना सकती है, और ऐसे पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच बोली प्रक्रिया को सीमित कर सकती है।

(जोर दिया गया)।

नियम **16:**

(1) पट्टेदार या ठेकेदार सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति को पट्टा या अनुबंध या उसमें कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करेगा।

(2) जब पट्टेदारों की पूर्व-योग्यता की प्रणाली का पालन करते हुए पट्टा दिया जाता है, तो सरकार एक लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट कर सकती है जिसके भीतर इस तरह के पट्टे का कोई हस्तांतरण अनुमत नहीं होगा।तथापि, ऐसे मामलों में पट्टेदार को मूल अनुदानकर्ता की कुल हिस्सेदारी के उनतालीस प्रतिशत की सीमा तक अन्य भागीदारों/शेयरधारकों को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

(8) हस्तांतरण आवेदन जमा करने के अधीन, हर तरह से पूर्ण, सरकार ऐसे पट्टे या अनुबंध के हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है और ऐसी अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकती है, जो वह उचित समझे;

(9) आवेदक सरकार को प्रतिनिधित्व का अवसर देने के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां भी उचित समझा जाए, इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति देने से इनकार कर सकती है।

(3) नियम **50.**

(1) इन नियमों के तहत विशेष रूप से उल्लिखित मामलों को छोड़कर और जहां आवेदन पर ऐसी खनिज रियायतें दी जा सकती हैं, सभी खनन पट्टों/अनुबंधों/परमिटों को प्रतिस्पर्धी बोलियों/खुली नीलामी को आमंत्रित करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा से दिया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

(2) सरकार, खनिज संरक्षण और वैज्ञानिक खनन के हित में, सामान्य सार्वजनिक सूचना द्वारा से रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करके और पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच बोलियों को प्रतिबंधित करके, पहले से निर्धारित एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंड के आधार पर संभावित बोलीदाताओं को पूर्व-योग्य बना सकती है।"

(13) इन प्रावधानों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि एच. एस. आई. आई. डी. सी. के पक्ष में दिए गए पट्टा/खनन अधिकार नियम 9 के विपरीत अवैध थे।हम बाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई इस प्रस्तुति के महत्व का संकेत देंगे।

(14) दूसरा, जहां तक निजी पक्षों का संबंध है, इन प्रावधानों की अनिवार्य प्रकृति के बारे में निवेदन स्वीकार कर लिया गया था।फैसले के पैराग्राफ 21 और 22 को नीचे पढ़ा गया है:-

"21. श्री चोपड़ा का यह निवेदन कि नियम 9 सरकार के लिए किसी भी खनन पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद देना अनिवार्य बनाता है, जैसा कि नियमों के अध्याय 7

में प्रदान किया गया है, अच्छी तरह से स्थापित है।यह सरकार के लिए खुला नहीं है कि वह बोलियां आमंत्रित किए बिना खनन पट्टा दे।यह लोभ और मनमानेपन से बचने के लिए है।यह चुनने और चुनने के आधार पर खदानों को संचालित करने के लिए पट्टों के अनुदान को प्रतिबंधित करता है।विधानमंडल का इरादा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में पट्टा देने का भी था ताकि राजस्व को अधिकतम किया जा सके।यह नियम 9 के उप नियम (3) से स्पष्ट है जिसमें प्रावधान है कि प्राप्त सबसे अधिक बोली पट्टेदार द्वारा देय वार्षिक मृत किराया बन जाएगी जो बदले में तीन साल के प्रत्येक ब्लॉक के पूरा होने पर 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि के अधीन है।

22. नियम **9 (1)** के प्रावधानों में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में पट्टा देने की आवश्यकता अनिवार्य है।

आम तौर पर और किसी विशेष परिस्थिति की अनुपस्थिति में में खदान के संचालन के लिए पट्टा जनता से बोलियां आमंत्रित करने के बाद ही सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है।जहां तक यह खनन पट्टा देने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता से संबंधित है, नियम 9 (1) में "हो सकता है" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। "हो सकता है" शब्द पट्टे के तहत संचालित किए जाने वाले क्षेत्रों को देने के राज्य सरकार के अधिकार को योग्य बनाता है।यह इसे ऐसा करने या न करने के लिए मजबूर नहीं करता है।यदि यह पट्टे के तहत संचालित किए जाने वाले क्षेत्रों को देने का निर्णय लेता है तो उसे जनता से बोलियां आमंत्रित करके ऐसा करना चाहिए।नियम 9 (1) राज्य सरकार को चुन-चुन के आधार पर पट्टे देने के लिए अधिकृत नहीं करता है।यह पूरी तरह से अलग मामला है कि राज्य सरकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में पट्टा देने के लिए बाध्य नहीं हो सकती है।

(15) याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क को बरकरार रखा गया कि नियम 9 सरकार के लिए नियमों के अध्याय-VII में प्रदान की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद किसी भी खनन पट्टे को देना अनिवार्य बनाता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को पट्टे के तहत संचालित करने का निर्णय लेती है, तो उसे जनता से बोलियां आमंत्रित करके ऐसा करना चाहिए और राज्य सरकार इस तरह के पट्टे चुन-चुन के आधार पर नहीं दे सकती है।आगे यह निष्कर्ष कि यह नियम राज्य सरकार या उसके उपकरणों जैसे निगमों और उसके स्वामित्व और नियंत्रित कंपनियों पर लागू नहीं

होता है, एक अलग मामला है।इस स्तर पर यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को बरकरार रखा कि यदि राज्य सरकार पट्टे के तहत संचालित होने के लिए कोई क्षेत्र देती है तो उसे जनता से बोलियां आमंत्रित करके ऐसा करना अनिवार्य रूप से चाहिए।नियम 9 के प्रावधान अनिवार्य हैं और राज्य सरकार या उसके किसी भी साधन द्वारा खनन किए जाने को छोड़कर इसका पालन किया जाना चाहिए।

(16) तीसरा, फैसले के पैराग्राफ 54 और 57 में याचिकाकर्ताओं की वैकल्पिक याचिका पर विचार किया गया हैः-

"54. हालाँकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई इस वैकल्पिक याचिका और मांगी गई राहत पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि श्री अमर विवेक ने कहा है कि हरियाणा राज्य याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि को बिना कोई जुर्माना लगाए उचित ब्याज के साथ वापस करने को तैयार है।बयान स्वीकार किए जाते हैं।इसे ध्यान में रखते हुए, यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या उत्तरदाताओं द्वारा एच. एस. आई. आई. डी. सी. के पक्ष में पट्टा देने के निर्णय का खुलासा करने में विफल रहने के कारण, याचिकाकर्ता अनुबंध को रद्द करने के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री अमर विवेक के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, श्री चोपड़ा की इस रिट याचिका में किसी तीसरे पक्ष को उनकी बोलियों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सूचित करने के महत्व के बारे में आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि याचिकाकर्ताओं की वैकल्पिक दलीलें अच्छी तरह से स्थापित हैं तो वे नुकसान सहित आगे की राहत के हकदार हो सकते हैं।हालाँकि, इसके लिए उन्हें उचित कार्यवाही के लिए हटा दिया जाना चाहिए।यह रिट याचिका हर्जाने की गणना के लिए एक उचित कार्यवाही नहीं है, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता इसके हकदार हैं।याचिकाकर्ता हमेशा किसी भी राशि की वसूली के लिए उचित कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी कार्यवाही अपने गुण-दोष के आधार पर

निर्धारित की जाएगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि यह श्री अमर विवेक के उपरोक्त कथन के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त होगा।

57. इन परिस्थितियों में दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

हालाँकि, श्री अमर विवेक के बयान कि हरियाणा सरकार याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि वापस कर देगी और याचिकाकर्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि वे अपने अनुबंध रद्द कराना चाहते हैं, स्वीकार किए जाते हैं।याचिकाकर्ता या तो अनुबंधों को जारी रखने या 30.04.2015 द्वारा उन्हें रद्द करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे।यदि वे अनुबंधों को रद्द करने का विकल्प चुनते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों को मांग के आठ सप्ताह के भीतर चुका देगा।याचिकाकर्ताओं को मुआवजे या नुकसान की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता है जो उनके स्वयं के गुण-दोष पर तय की जाएगी।प्रतिवादी की ओर से दिया गया बयान कि एच. एस. आई. आई. डी. सी. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की खंड 17-ए (2) के प्रावधानों का पालन किए बिना खनन कार्य शुरू नहीं करेगा, अर्थात् केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करना स्वीकार किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

(17) जे. वी. ने सर्वोच्च न्यायालय में 2015 की विशेष अपील अनुमति (सी) संख्या 12623-12624 के लिए एक याचिका दायर की जिसकाइस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए दिए गए समय को 10.05.2015 तक बढ़ाकर 01.05.2015 का आदेश द्वारा निपटारा किया गया।

(18) यहीं से मामले ने एक मोड़ लिया जिसके परिणामस्वरूप अंततः विवादित कार्रवाई हुई।

(19) एक अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार, यानी कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'केजेएसएल') ने प्रतिवादी अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव को संबोधित एक पत्र द्वारा पहले दिए गए प्राधिकरण को रद्द कर दिया और कहा कि अब से इसके निदेशक अकबल सिंह भुल्लर को प्रारंभिक नीलामी राशि और ब्याज की वापसी से संबंधित सभी दस्तावेजों, समझौतों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।इस स्तर पर यह याद रखना चाहिए कि करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड (केजेएसएल) संयुक्त उद्यम में 51 प्रतिशत भागीदार थी।

(20) के. जे. एस. एल. ने एक और पत्र दिनांकित 07.05.2015 के माध्यम से अनुबंध को रद्द करने के निर्णय को दोहराया, रुपये की वापसी की मांग की। संयुक्त उद्यम द्वारा 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जमा किए गए 1 करोड़ रुपये और हर्जाने का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखा।

(21) दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से संयुक्त उद्यम की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिनांकित 14.05.2015 एक पत्र द्वारा संबोधित किया।उन्होंने कहा कि संयुक्त उद्यम का कभी भी अनुबंध को रद्द करने का इरादा नहीं था, लेकिन एक गुट के रूप में काम करने वाले कुछ निहित स्वार्थ अपने संयुक्त उद्यम भागीदार केजेएसएल को गुमराह करने में कामयाब रहे, जिसके परिणामस्वरूप केजेएसएल ने एकतरफा रूप से अनुबंध को रद्द कर दिया और जमा की गई राशि की वापसी की मांग की।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे इससे असहमत हैं और एल. ओ. आई. के नियमों और शर्तों पर खदानों का संचालन करने का बीड़ा उठाया और कहा कि उन्हें के. जे. एस. एल. द्वारा अपना हिस्सा सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने पत्र के पैराग्राफ संख्या 9 और 10 पर काफी भरोसा रखा, जो इस प्रकार हैः-

"9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि राज्य कृपया इस संबंध में एक तर्कसंगत निर्णय लेने पर विचार करे, हमने (सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स) दादाम खदान के क्षेत्र का संचालन करने का बीड़ा उठाया। अनुदान की शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष 115 करोड़ रुपये।इसलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि दूसरे भागीदार-मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड अपने हिस्से को समर्पण करने का इरादा रखता है।

ऐसी स्थिति में, राज्य दोनों में से किसी एक पर विचार कर सकता है।

(i) करमजीत सिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 51% शेयरों का हस्तांतरण।

121

सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स के पक्ष में लिमिटेड या (ii) मैसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी के स्थान पर किसी अन्य पूर्व-योग्य खनन एजेंसी को शामिल करने की अनुमति। प्राइवेट लिमिटेड इस शर्त के अधीन है कि हम किसी भी पूर्व-योग्य एजेंसी को राजी करने में समर्थ हैं।

10. राज्य इस बात पर विचार कर समर्थ है कि यदि निहित स्वार्थों को इस स्तर पर अवांछनीय विवाद पैदा करने की अनुमति दी जाती है और दादाम खदान को भी एक या डेढ़ साल की अन्य अवधि के लिए बंद रखा जाता है, तो एक ओर राज्य को राजस्व का नुकसान होगा और साथ ही, आम जनता को निर्माण सामग्री नहीं मिल पाएगी।यह केवल उन व्यक्तियों के उद्देश्य को पूरा करेगा जो हरियाणा खनन के लिए मुकदमेबाजी करने का प्रबंधन कर सकते हैं और उसी स्थिति को बनाए रख सकते हैं ताकि वे हरियाणा की आम जनता को उच्च दरों पर अपनी सामग्री बेच सकें।यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि केजेएसएल सुंदर के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी का अनुदान अग्रिम चरण में है और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसी भी समय दिए जाने की संभावना है।"

(22) आधिकारिक प्रतिवादी को, इसलिए, एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा जहां संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक अर्थात। केजेएसएल ने अनुबंध को रद्द करने की मांग की थी, जबकि दूसरे याचिकाकर्ताओं ने ऐसा करने की मांग नहीं की थी और इसे लागू करने में रुचि दिखाई थी।इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, केजेएसएल ने पहले के पत्र दिनांकित 07.05.2015 द्वारा प्राधिकरण को रद्द कर दिया और कहा कि संयुक्त उद्यम का 51 प्रतिशत शेयर धारक होने के नाते, इसके निदेशक को ब्याज के साथ जमा की गई राशि की वापसी से संबंधित समझौतों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था।

(23) यह हमें उस तरीके पर लाता है जिसमें आधिकारिक प्रतिवादी ने मामले में आगे बढ़ना शुरू किया।

(24) खनन इंजीनियर ने 25.05.2015 दिनांकित एक टिप्पणी प्रस्तुत की।

(25) टिप्पणी में याचिकाकर्ताओं को पट्टा जारी रखने और केजेएसएल को अपने हिस्से को सौंपने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था और सुझाव दिया गया था कि समर्पण किए गए हिस्से को या तो याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है या याचिकाकर्ताओं को उक्त काम के लिए नए भागीदारों को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, टिप्पणी में प्रस्ताव की वैधता के बारे में महाधिवक्ता की राय लेने का सुझाव दिया गया है।

(26) निजी प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री भारद्वाज ने अपनी इस दलील के समर्थन में इस टिप्पणी के पैराग्राफ-21 पर भरोसा किया कि नीलामी से सही कीमत नहीं मिली है।

हालाँकि हम इस प्रस्तुतिकरण पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन इस स्तर पर अनुच्छेद-21 निर्धारित करना सुविधाजनक होगाः-

"यहाँ यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच नीलामी द्वारा से पट्टों के अनुदान के तरीके को अन्यथा सफलता नहीं मिली है जैसा कि उम्मीद की गई थी।बल्कि इसने कुछ बड़े दिग्गजों को गुट/एकाधिकार बनाने और मुकदमेबाजी पैदा करने और हरियाणा में खनन बंद रखने को सुनिश्चित करने के लिए जगह दी।कई पूर्व-योग्य बोलीदाताओं की ओर से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पूर्व-योग्यता के माध्यम से अच्छे ऑपरेटरों को लाने के उचित प्रयास को विफल कर दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप विभाग ने पहले ही सिफारिश की है कि पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच नीलामी की प्रक्रिया का निपटारा किया जाए और सभी इच्छुक पक्षों को पत्थर की खदानों के लिए भी भविष्य की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाए।"

(27) उच्च अधिकारियों ने दिनांक 26.05.2015 के समर्थन से महाधिवक्ता की राय लेने का फैसला किया।

(28) विद्वान महाधिवक्ता ने दिनांक 28.05.2015 पर अपनी राय प्रस्तुत की।यद्यपि तथ्य या स्वयं कानून के मुद्दे पर एक राय अदालत की कार्यवाही में अप्रासंगिक है और आम तौर

पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए, हमने याचिकाकर्ताओं को केवल उस प्रक्रिया को इंगित करने के लिए इसे संदर्भित करने की अनुमति दी जिसके कारण आधिकारिक उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं के सुझावों को प्रतिग्रहण करना करने के लिए उन्हें पट्टे के अनुसार काम करने की अनुमति दी, जिसे बाद में विवादित आदेशों द्वारा वापस ले लिया गया था।

(29) महाधिवक्ता ने राय दी कि संयुक्त उद्यम के भागीदारों में से एक को वापस लेने के बावजूद बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध को जारी रखना राज्य के सभी हितों के लिए आवश्यक है।हालाँकि, उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं को एक क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना चाहिए कि वे दूसरे भागीदार की वापसी के बावजूद सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार हैं और बिना किसी संशोधन या परिवर्तन की मांग के एल. ओ. आई. में निर्धारित शर्तों का सम्मान करेंगे।उन्होंने आगे कहा कि बाहर निकलने की पेशकश करने वाले भागीदारों में से एक के रूप में, अन्य मौजूदा भागीदार द्वारा एक अग्रेषण पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बांड का निष्पादन "संयुक्त उद्यम/खनन अनुबंधों के मामलों को चलाने" की अनुमति देने के लिए सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(30) खनन इंजीनियर ने 10.06.2015 दिनांकित एक और नोट प्रस्तुत किया जिसमें महाधिवक्ता की राय पर भी टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी में कहा गया है कि राज्य का पूरा हित विभिन्न कारणों से पट्टे को जारी रखने में था, जिसमें इस कारण से कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई थी और किसी भी समय भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी को अधिसूचित किया जा सकता है और यदि नई नीलामी आयोजित की जाती है तो राजस्व का नुकसान हो सकता है।नोट में केजेएसएल के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान दें किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और कहा गया है कि यह सरकार के हित में नहीं है।

(एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे.)

टिप्पणी में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया गया थाः-

“तदनुसार यदि मंजूरी मिल जाती है, तो राज्य सरकार से मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स के पक्ष में पूरे हिस्से के हस्तांतरण की अनुमति देने का अनुरोध किया जा सकता है, जो मेसर्स केजेएसएल सुंदर (जेवी) के भागीदारों में से एक है, जो पट्टे/अनुबंध के साथ जारी रखने का इरादा रखता है।शेयर का हस्तांतरण/पट्टे का हस्तांतरण इन शर्तों के अधीन होगा किः-

(i) भागीदार मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स, जो पट्टे में बने रहने का इरादा रखते हैं, विभाग/राज्य के साथ पट्टे के विलेख को निष्पादित करेंगे।

((ii) मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स सभी मौजूदा प्रतिभूओं (मौजूदा शपथपत्रों के स्थान पर) के नए हलफनामे प्रस्तुत करेगा कि वे मेसर्स केजेएसएल सुंदर (जेवी) के स्थान पर मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स के लिए प्रतिभू हैं और यदि मौजूदा प्रतिभूओं में से कोई भी ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स ऐसी राशि के लिए नई प्रतिभू प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) मैसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स विभाग के साथ एक क्षतिपूर्ति बांड भी निष्पादित करेगा कि फर्म/वह मौजूदा पट्टे से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों को पूरा करेगी और भागीदारों में से एक की वापसी के बावजूद/वह उसमें निर्धारित शर्तों का सम्मान करेगी और वह अकेला ही पट्टे के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी स्तर पर किसी भी संशोधन या उसकी शर्तों में बदलाव की मांग नहीं करेगा।

(iv) इसके अलावा, मैसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स निवर्तमान भागीदार मैसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड के साथ सभी खातों/मुद्दों को निपटाने के लिए भी जिम्मेदार होगा और मैसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए किसी भी दावे के लिए राज्य जिम्मेदार नहीं होगा।

(v) संयुक्त उद्यम/संघ में से एक मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स के पक्ष में पट्टे/शेयर को हस्तांतरित करने के निर्णय के बारे में मेसर्स करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड को सूचित किया जाए। यहाँ यह बताया जा सकता है कि किसी भी स्थिति में, मैसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स मेसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड के साथ सभी मुद्दों का निपटारा करने में विफल रहता है और मेसर्स कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा संघ को दिए गए उपरोक्त पट्टे की राशि, यदि कोई हो, के रिफंड के संबंध में किसी भी दावे

को वापस नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ पट्टे को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

(31) वरिष्ठ खनन इंजीनियर ने उसी तारीख यानी 10.06.2015 के समर्थन से खनन इंजीनियर के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का निम्नलिखित अनुमोदन दिनांक 16.06.2015 किया गया:-

"एक भागीदार द्वारा नीलामी के समय जमा की गई राशि की वापसी का अनुरोध और दूसरे भागीदार द्वारा गाँव दादम, तहसील तोशाम, जिला भिवानी में 55.50 हेक्टेयर के क्षेत्र में लघु खनिज के संबंध में खनन पट्टा विलेख के निष्पादन का अनुरोध।"

(32) खान और भूविज्ञान विभाग, हरियाणा के महानिदेशक ने संयुक्त उद्यम भागीदारों यानी याचिकाकर्ता और के. जे. एस. एल. को सभी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए दिनांक 17.06.2015 को एक पत्र को संबोधित किया और कहा कि इस पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं के साथ पट्टे को जारी रखने और के. जे. एस. एल. को इससे बाहर जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है और किसी भी जटिलता से बचने के लिए पट्टे को याचिकाकर्ताओं के नाम पर स्थानांतरित/बदलने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उसमें उल्लिखित शर्तें हों।

(33) याचिकाकर्ताओं ने पहले मांगी गई और संदर्भित शर्तों पर एक वचन पत्र प्रस्तुत किया।के. जे. एस. एल. ने दिनांक 1 के एक पत्र के माध्यम से अपने निदेशक मंडल के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की, जिसमें याचिकाकर्ताओं के समझौते और जे. वी. को भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि के. जे. एस. एल. तत्काल प्रभाव से उक्त जे. वी. के एक संघ भागीदार के रूप में काम करना बंद कर देगा और याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल या अन्य इच्छुक पक्षों के साथ खनन पट्टे को जारी रखने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

(34) यह इन परिस्थितियों में है कि अंततः याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच 05.08.2015 दिनांकित एक खनन पट्टा निष्पादित किया गया था जिसे बाद में विवादित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(35) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 03.07.2015 दिनांकित एक पत्र द्वारा याचिकाकर्ताओं को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की।संयुक्त उद्यम को संबोधित 28.10.2015 दिनांकित एक पत्र द्वारा, मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने याचिकाकर्ताओं के नाम पर पर्यावरण मंजूरी को कुछ शर्तों के अधीन संयुक्त उद्यम से स्थानांतरित कर दिया।

(36) पर्यावरण मंजूरी और उसके हस्तांतरण को अपने नाम पर प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने रॉयल्टी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2015 का भुगतान करना शुरू कर दिया और खनन कार्य शुरू कर दिया।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे रुपये के वार्षिक नियत किराए के लिए मासिक किश्तों का भुगतान कर रहे थे। नियमित रूप से और बिना किसी चूक के 9 करोड़ 58 लाख रुपये, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कोष को प्रति माह 1 लाख रुपये, विभिन्न वैधानिक/कर बकाया के लिए 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये। स्रोत पर कर संग्रह के रूप में प्रति माह 19.50 लाख। याचिकाकर्ताओं ने लगभग 7000 लोगों को नियुक्त किया है, 350 से 400 क्रशर लगाए हैं और 1300 से 1400 ट्रकों को परिवहन के लिए तैनात किया गया है।

(37) अब यह आवश्यक है कि इस रिट याचिका में आरोपित आधिकारिक प्रतिवादी की कार्रवाई से पहले प्रतिवादी Nos.5 और 6-निजी प्रतिवादी द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जाए।

(38) प्रतिवादी संख्या 5 खनन का व्यवसाय करता है।प्रतिवादी संख्या 6 एक पत्रकार है। इन प्रतिवादी ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसका हम जल्द ही उल्लेख करेंगे। इसलिए उन्हें इस याचिका में शामिल करने का आदेश दिया गया था।सुविधा के लिए, हम उन्हें निजी प्रतिवादी के रूप में संदर्भित करेंगे।निजी प्रतिवादी ने 10.03.2016 दिनांकित एक पत्र द्वारा मामले के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत

जानकारी मांगी।यह पत्र अभिलेख में नहीं है।हालाँकि, राज्य भूविज्ञानी-सह-राज्य लोक सूचना अधिकारी, खान और भूविज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांकित 10.03.2016 निजी उत्तरदाताओं के आवेदन दिनांक 12.01.2016 को संदर्भित करता है।निजी प्रतिवादी को दी गई जानकारी दिनांकित 10.03.2016 के पत्र के आवरण के तहत संलग्न की गई थी, जिसका अनुच्छेद-9 निम्नानुसार है:-

"जिन मामलों में स्थानांतरण/नाम परिवर्तन की अनुमति दी गई थी, उनमें से एक मामला दादाम पत्थर की खदान से संबंधित है।उक्त पट्टे से संबंधित फाइल राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां केवल संबंधित फाइल की प्राप्ति पर ही प्रदान की जा सकती हैं।"

(39) इस प्रकार निजी प्रतिवादी ने दिनांकित 05.08.2016 पट्टे के उचित समय के भीतर मामले की जांच करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया।उन्हें दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे जैसा कि ऊपर उद्धृत पैराग्राफ-9 से स्पष्ट है।

(40) इसके बाद निजी प्रतिवादी ने में से कुछ दस्तावेज़ प्राप्त किए। और अंततः 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 9419 दायर की गई।याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के पक्षकार भी थे, जिसे एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) के रूप में दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 17.06.2015 के आधिकारिक प्रतिवादी के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रमुख भागीदार के. जे. एस. एल. के हिस्से के हस्तांतरण की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी और आधिकारिक प्रतिवादी को उक्त खदानों की नई नीलामी करने का निर्देश दिनांकित 17.06.2015 दिया गया था।उन्होंने आधिकारिक प्रतिवादी की भूमिका की जांच करने का आदेश देने की भी मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने विभिन्न अवैधताएं की हैं और कानून का उल्लंघन किया है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की खंड 21 के तहत पट्टे के अनुसार निकाले गए पूरे खनिजों के मूल्य की वसूली के लिए आदेश देने की मांग की।

(41) याचिका का निपटारा इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा एक आदेश और निर्णय दिनांक 14.09.2016 द्वारा किया गया था, जिसमें हममें से एक (S.J.Vazifdar, C. J.) पक्षकार था। हम इससे पहले हुए तथ्यों का उल्लेख करने के बाद इस आदेश पर वापस आएंगे।

(42) यह हमें उस विवादित कार्रवाई की ओर लाता है जो दिनांकित 09.08.2016 के नोटिस और अब तक दायर की गई कार्यवाही के आदेशों के साथ शुरू हुई थी।

(43) नोटिस में नीलामी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है जिसमें 21 खनन एजेंसियां नीलामी में भाग लेने के लिए पूर्व-योग्य थीं और वे तथ्य जो याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच दिनांकित 05.08.2015 समझौते का कारण बने।नोटिस में जनहित याचिका का भी उल्लेख किया गया है। 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 9419 और उसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसका दिनांक 13.05.2016 था।नोटिस में तब कहा गया है कि आधिकारिक प्रतिवादी ने एक बार फिर मामले की जांच की थी और सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करने पर, सक्षम प्राधिकारी का विचार था कि याचिकाकर्ताओं को प्रमुख भागीदार-केजेएसएल के 51 प्रतिशत हिस्से का हस्तांतरण 2012 के नियमों के प्रावधानों और नीलामी नोटिस की शर्तों के अनुरूप नहीं था और इसलिए, दिनांक 17.06.2015 के हस्तांतरण की अनुमति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का प्रस्ताव किया गया था।याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया।

(44) याचिकाकर्ताओं ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 16735 दायर की, जिसका निपटारा इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 27.08.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसमें हममें से एक (एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे.) जो एक पक्षकार था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि 09.08.2016 दिनांकित नोटिस वास्तव में केवल कारण दिखाने के लिए था और मामले में अंतिम निर्णय नहीं था।आदेश में 2016 की उक्त सिविल रिट याचिका संख्या 9419 का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इसलिए यह उचित होगा। कारण दर्शाओ नोटिस के संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पहले आधिकारिक प्रतिवादी को प्रतिवादी संख्या 5 को भी सुनना होगा।आदेश ने यह निर्देश देते हुए निष्कर्ष निकाला कि आधिकारिक प्रतिवादी का आदेश, यदि याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिकूल है, तो उन पर उसकी सेवा के बाद दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार 23.08.2016 दिनांकित एक विस्तृत जवाब दायर किया और साथ ही कारण बताए जाने के नोटिस के लिए 02.09.2016 दिनांकित एक अतिरिक्त जवाब भी दाखिल किया।

(45) प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर 2016 की उक्त सिविल रिट याचिका का दिनांक 14.09.2016 के एक आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया क्योंकि यह उपरोक्त तथ्यों, विशेष रूप से दिनांकित 09.08.2016 के संचार को देखते हुए जीवित नहीं रही।यह आदेश 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 16735 में हमारे दिनांकित 27.08.2016 के आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें दिनांकित 09.08.2016 के कारण बताए जाने के नोटिस को चुनौती दी गई थी।इसने श्री सिंहल का बयान दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 5 सहित पक्षों को यहां सुना गया था और 28.09.2016 द्वारा एक आदेश पारित किया जाएगा।उसमें याचिकाकर्ताओं यानी निजी प्रतिवादी को न केवल याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कारण दर्शाओ नोटिस के अनुसार पारित किए जाने वाले आदेश के संबंध में बल्कि याचिका में अन्य दावों के संबंध में भी एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

(46) अंततः 29.09.2016 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा कारण बताए जाने के नोटिस का निपटारा कर दिया गया।आदेश में तथ्यों और पक्षों की प्रस्तुतियों को निर्धारित किया गया है।हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं कि नीलामी नोटिस की शर्त No.36 के अनुसार पहले पांच वर्षों के दौरान नए भागीदार/शेयरधारकों के शेयर को कम करने/शामिल करने की अनुमति मूल पट्टा धारक की कुल हिस्सेदारी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख भागीदार ने पट्टे को रद्द करने की मांग की थी, अन्य भागीदारों अर्थात् याचिकाकर्ताओं को प्रमुख भागीदारों के हिस्से को खुद को हस्तांतरित करने की अनुमति देकर खदान चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।नीलामी नोटिस की शर्त No.36 को देखते हुए एक नई पूर्व-योग्य खनन एजेंसी लाने की अनुमति देने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया था। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2015 के पत्र के अनुसार और उसके अनुसार निष्पादित पट्टे के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई वैध रहेगी और इसका किसी भी पक्ष के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं

पड़ेगा।याचिकाकर्ताओं को तदनुसार आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर किसी भी खनिज के खनन संचालन/प्रेषण को रोकने का निर्देश दिया गया था।

(47) 06.10.2016 को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ प्रस्ताव का नोटिस जारी किया और के विवादित आदेश दिनांकित 27.09.2016 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

इस न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ, जिसमें हममें से एक पक्षकार (एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे.) था, ने एक और अंतरिम आदेश दिनांकित 27.10.2016 द्वारा अंतरिम आदेश जारी रखा, लेकिन इस समझ पर कि इक्विटी को अदालत द्वारा मुआवजे के रूप में या अन्यथा समायोजित किया जाएगा।जैसा कि याचिका में दावा की गई राहत को खारिज कर दिया गया है, हमने बाद में बताए गए शेयरों को समायोजित किया है।

(48) याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉ. सिंघवी का मामला इस प्रकार हैः- (49) याचिकाकर्ताओं ने अपने दिनांक 14.05.2015 के पत्र द्वारा राज्य को याचिकाकर्ताओं को अपने हिस्से को याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित करने की अनुमति देकर या केजेएसएल के स्थान पर पूर्व-योग्य भागीदार को शामिल करने की अनुमति देकर याचिकाकर्ताओं को जारी रखने की अनुमति देने का विकल्प दिया।राज्य ने खंड 36 के संचालन सहित मामले के सभी पहलुओं पर विधिवत अपना दिमाग लगाया और राज्य के हित में याचिकाकर्ताओं को दिनांकित 05.08.2017 समझौते के अनुसार जारी रखने का निर्णय लिया।

(50) विवादित आदेश केवल तथ्यों के एक ही समूह पर राय बदलने के कारण पारित किया गया है।ऐसे कोई नए तथ्य नहीं हैं जो राज्य द्वारा विचार परिवर्तन को आवश्यक या उचित ठहराते हों।याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत या छिपाया नहीं गया था।सरकार जोड़ों में एक खेल की हकदार है और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार ने याचिकाकर्ताओं के साथ दिनांकित 05.08.2015 समझौता किया है।

(51) वचन विबंधन का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू होता है।याचिकाकर्ता के निहित अधिकार को कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं खोया जा सकता है।सरकार अपनी

गलती का फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता की कभी गलती नहीं थी। विवादित आदेश में पूर्व निर्धारित मन के सभी लक्षण होते हैं।

(52) विवादित आदेश में लिया गया प्राथमिक आधार डी. एन. आई. टी. के खंड 36 का उल्लंघन है जो केवल पट्टे के हस्तांतरण की बात करता है।वर्तमान मामले में पट्टा अंततः राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित किया गया था और पट्टा के निष्पादन के बाद केजेएसएल के हिस्से का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था।खंड 36 लागू नहीं होता है, क्योंकि यह केवल पट्टा हस्तांतरण की बात करता है।वर्तमान मामले में संयुक्त उद्यम के नाम पर कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया गया था। पूरक कारण जो आदेश में परिलक्षित नहीं होते हैं, उन्हें उक्त आदेश के समर्थन में स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।

(53) खंड 36 एक आवश्यक अवधि नहीं है क्योंकि यह किसी भी स्थिति में पांच साल की अवधि के बाद पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देता है।

(54) किसी भी बोलीदाता ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टे के अनुदान को चुनौती नहीं दी है। ।इसलिए अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है।प्रतिवादी संख्या 5 बोली लगाने वाला नहीं था और इसलिए उसका कोई अधिस्थिति नहीं है।भारी देरी हो रही है क्योंकि समझौता 05.08.2015 पर किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने समझौते के कार्यान्वयन के लिए करोड़ों रुपये का निवेश किया है।

(55) प्रतिवादी सं. 5, जिसके कहने पर विवादित आदेश पारित किया गया है, आज तक अयोग्य है।

(56) राज्य के लिए लाभ बहुत बड़ा है जबकि राज्य के प्रति पूर्वाग्रह न्यूनतम है।सरकार को प्रति वर्ष 6. 25 करोड़ के आरक्षित मूल्य के मुकाबले115 करोड़ रुपये की की रॉयल्टी मिल रही है। प्रति माह लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न किया जा रहा है।सरकार को सुरक्षा राशि वापस करनी होगी।याचिकाकर्ता द्वारा पूंजी निवेश के माध्यम से अतिरिक्त 45 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।सरकार को हर्जाने के लिए मुकदमे का मुकदमा करने से बचाया गया था क्योंकि इसे दायर करने की अनुमति इस

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2015 के आदेश के माध्यम से दी गई थी।खदान बंद होने की स्थिति में राज्य को निर्माण सामग्री की कमी का सामना करना पड़ेगा।नई बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए सिरे से पर्यावरण मंजूरी में डेढ़ साल लगेंगे और मध्यावधि में राज्य को सैकड़ों करोड़ रुपये के बहुमूल्य राजस्व का नुकसान होगा।

(57) हम इस याचिका के उद्देश्य के लिए यह मान लेंगे कि दिनांकित 05.08.2015 समझौते की प्रक्रिया में कोई दुर्भावना नहीं थी, हालांकि निजी प्रतिवादी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ऐसा था।

(58) हालाँकि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं काम के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं थे, लेकिन उनकी अयोग्यता की प्रकृति और सीमा को देखना आवश्यक है।

(59) आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित "खनन एजेंसियों की पूर्व अर्हता के लिए तकनीकी प्रस्तावों के निमंत्रण" (जिसे इसके बाद निमंत्रण के रूप में संदर्भित किया जाता है) के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना शुरू में ही आवश्यक है।उसी ने अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहा:-

“ खनन एजेंसियों की पूर्व-योग्यता के लिए तकनीकी प्रस्तावों के निमंत्रण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया है:-

हरियाणा सरकार ने हरियाणा में लघु खनिजों के खनन में रुचि रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों/एजेंसियों को पूर्व-योग्य/शॉर्टलिस्ट आदेश का प्रस्ताव किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में खनन कार्य वैज्ञानिक रूप से और व्यवस्थित तरीके से किए जा रहे हैं।

चूँकि विस्फोटकों के उपयोग, विस्फोट और ड्रिलिंग से जुड़े खनन पट्टों को प्रतिस्पर्धी बोली/खुली नीलामी की एक पारदर्शी प्रक्रिया के बाद देने का प्रस्ताव है, इसलिए अंतिम बोली/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन, संचालन को

संभालने के लिए योग्य श्रमशक्ति (खनन इंजीनियर, विस्फोटक विशेषज्ञ आदि), मशीनरी और उपकरण, वित्तीय और तकनीकी क्षमता, पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन, बहाली, सुधार और पुनर्वास उपायों आदि में अनुभव के मामले में एजेंसियों को उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर तकनीकी रूप से पूर्व-योग्य बनाने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, हरियाणा राज्य के चयनित क्षेत्रों में लघु खनिजों के खनन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पूर्व-योग्यता में रुचि रखने वाली एजेंसियों से तकनीकी प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।"

(60) इसलिए आधिकारिक प्रतिवादी ने पूर्व-योग्यता एजेंसियों की प्रणाली को अपनाया और बोलीदाताओं की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक मानदंड निर्धारित किए।इस तरह के कार्यों में पूर्व-योग्यता का महत्व समझ में आता है।इसमें विस्फोटकों का उपयोग, विस्फोट और ड्रिलिंग शामिल है और यह आस-पास के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर एजेंसियों को तकनीकी रूप से पूर्व-योग्य बनाने के आधिकारिक उत्तरदाताओं के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

(61) यह सच है कि माइनिंग इंजीनियर्स ध्यान दें दिनांक 25.05.2015 के पैराग्राफ 21 ने पूर्व-योग्यता की प्रणाली के खिलाफ वकालत की और सुझाव दिया कि सभी इच्छुक पक्षों को भविष्य की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाए।हालाँकि, यह राज्य के लिए बोली आमंत्रित करने वाले पक्ष के रूप में है न कि न्यायालय को यह तय करना है कि राज्य को किस प्रणाली को अपनाना चाहिए।हमें राज्य द्वारा अपनाई गई प्रणाली के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए न कि अनुशंसित प्रणाली के आधार पर।

(62) एजेंसियों/बोलीदाताओं के रिकॉर्ड को वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन में अनुभव, ऐसे संचालन, मशीनरी और उपकरणों को संभालने के लिए योग्य श्रमशक्ति की उपलब्धता, वित्तीय और तकनीकी क्षमता, पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन, बहाली, सुधार और पुनर्वास उपायों आदि में अनुभव के संदर्भ में आंका जाना था। ये मापदंड आम आदमी के लिए भी उचित और उचित हैं या नही वास्तव में उनसे हमारे सामने काम के लिए मनमाना या अप्रासंगिक होने के रूप में के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी।

(63) यह सच है कि दिनांकित 05.08.2015 समझौते को निष्पादित करने द्वारा पहले आधिकारिक प्रतिवादी को कई चरणों द्वारा गुजरना पड़ा।इस समझौते के निर्णय पर कई स्तरों पर विचार किया गया था।यह मानते हुए भी कि समझौते में प्रवेश करने का निर्णय लेते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा गया था, वे अप्रासंगिक नहीं हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में नहीं रखा, अर्थात् बोलीदाता की पूर्व-योग्यता के महत्व को ध्यान में रखते हुए काम की प्रकृति।

(64) इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं की योग्यता की सीमा पर भी विचार नहीं किया गया था।बोलीदाताओं की पात्रता से संबंधित उक्त निमंत्रण के निम्नलिखित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं:-

"**6.** राज्य लघु खनिज रियायत नियमों में किए गए प्रमुख बदलावः-

राज्य सरकार ने 'पंजाब माइनर खनिज रियायत नियम, 1964' को 'हरियाणा माइनर' से बदल दिया है।

खनिज रियायत**,** भंडारण**,** खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम**, 2012 '**।

संशोधित नियम 20 जून, 2012 को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं और राज्य की वेबसाइट पर भी रखे गए हैं।हरियाणा।गव.में।संशोधित नियमों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

🎬 न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टों का अनुदान, अधिकतम बीस वर्ष के अधीन और पट्टा की वास्तविक अवधि जो प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा अग्रिम रूप से तय की जानी है।

🎬 न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए खनन अनुबंधों का अनुदान, बशर्ते कि प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम निर्णय लिया जाए।

7. तकनीकी मूल्यांकन के लिए मापदंडः

क.स.	पैरामीटर	विचार करने योग्य कारक
1	खनन में अनुभव	🎬 खनन का प्रकार प्रमुख या लघु खनिज; वर्षों की संख्या (खनिज वार) संचालन उत्पादन का पैमाना; 🎬 विस्फोटकों के

		भंडारण/उपयोग के लिए लाइसेंस सहित आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति; संचालन के प्रबंधन में आईसीटी का उपयोग;

2	आर एंड आर पहल और पर्यावरण अनुपालन में अनुभव	🎬 पिछले 10 वर्षों के विशिष्ट संदर्भ के साथ अतीत में पुनर्स्थापित खदानों का विवरण/विवरण; पुनर्स्थापित स्थलों का विवरण;
3	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	🎬 प्रचालित क्षेत्रों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी की पहलों को लागू किया गया;
4	कंपनी के रोल पर पूर्णकालिक/नियमित रोजगार पर मानव शक्ति	🎬 खनन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या; भूविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या; विस्फोटकों के उपयोग के लिए विशेषज्ञों की संख्या (खान अधिनियम, 1952 के अनुसार);
5	मशीनरी और उपकरणः कंपनी द्वारा लंबे पट्टे पर ली गई कंपनी के स्वामित्व में; कंपनी द्वारा अस्थायी भर्ती।	निर्माण और खरीद के वर्ष/मॉडल के साथ विवरण; उत्खनन/उत्खनन सह लोडर; ड्रिलिंग एम/सी-जैक हथौड़ा और वैगन ड्रिल मशीन; एयर कंप्रेसर; डंपर; इलेक्ट्रॉनिक वजन पुल; कोई अन्य उपकरण
6	परिवर्त्तन	पिछले तीन वर्षों का कारोबार।
7	लाभ/हानि	पिछले पाँच वर्षों के लिए लाभ/हानि विवरण सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित।

8	वित्तीय संसाधन और कंपनी का निवल मूल्य	खनन में भविष्य की परियोजनाओं के मामले में धन जुटाने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और कंपनी का निवल मूल्य।
	9. डिफ़ॉल्ट, यदि कोई हो।	जुर्माने/दंडात्मक कार्रवाई/पट्टों/अनुबंधों की समय से पहले समाप्ति, किसी भी एजेंसी द्वारा काली सूची में डालने का विवरण [प्रत्येक भागीदार/निदेशक की जानकारी प्रस्तुत की जाए]

मूल्यांकन की विधि

(i) तकनीकी प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।

((ii) मूल्यांकन प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी अर्थात लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर अंक और उसके बाद, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतियों द्वारा से।संयुक्त अंक पूर्व-योग्यता के लिए आधार बनाएगा;

(iii) न्यूनतम 60 प्रतिशत तकनीकी अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को पूर्व-योग्य माना जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

तकनीकी प्रस्तावों की दो मुद्रित प्रतियां और एक विद्युत प्रति सीडी-रोम (पीडीएफ प्रारूप में) पर इस दस्तावेज़ के 'अनुलग्नक ए' में वर्णित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। दस्तावेज़ अंग्रेजी में होंगे, जिनकी मुद्रित प्रतियाँ प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होंगी।

(65) आमंत्रण के खंड 8.6 को प्रस्तावों के निमंत्रण के संबंध में एक शुद्धिपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।जहाँ तक यह प्रासंगिक है, वह निम्नानुसार हैः-

"खंड **8.6**

"हरियाणा में लघु खनिज खनन ब्लॉकों की बोलियों/नीलामी में भागीदारी के लिए पूर्व-योग्यता के आधार पर खनन एजेंसियों के पैनल के लिए आर. एफ. क्यू. के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है जो 18.08.2012 पर जारी किया गया था।

ऊपर उल्लिखित विषय पर आर. एफ. क्यू. दस्तावेज़ के पैरा 8.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क.स.।	मापदंड	अंकों का आवंटन
1	खनन कर्मचारी (खनन भूवैज्ञानिक/विशेषज्ञ/पेशेवर) एजेंसी के नियमित रोल पर उस समय जब वह चल रही गतिविधियों पर अपना पिछला संचालन कर रहा थाः - (i) न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी के खान प्रबंधक प्रमाण पत्र वाले खनन अभियंता; (ii) न्यूनतम एम. एससी. की योग्यता के साथ योग्य भूविज्ञानी। (भूविज्ञान) □□ न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव; (iii) दो द्वितीय श्रेणी के खान प्रबंधक प्रमाण पत्र धारकों के लिए (प्रत्येक 1.5 अंक); (iv) दो योग्य ब्लास्टरों के लिए (प्रत्येक 1.5 अंक); (v) एक योग्य मैकेनिकल इंजीनियर के लिए	अधिकतम अंक 15 04 03 03 03 02
2	मशीनरी और उपकरणः (i) उत्खनन (प्रत्येक के लिए एक अंक) (ii) डंपर (न्यूनतम 02) (iii) वैगन ड्रिल मशीन (प्रत्येक के लिए एक अंक)	5 (अधिकतम) 02 02 01 01

3	खनन (प्रमुख/लघु खनिज) में अनुभव (i) 20 वर्ष से अधिक (ii) 15 से 20 वर्ष (iii) 10 से अधिक लेकिन 15 वर्ष तक (iv) 5 से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक (v) 02 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक	10 (अधिकतम) 10 08 06 04 02
4	पिछले तीन वर्षों के लिए गणना की गई औसत वार्षिक आय	10 (अधिकतम)

	(i) रु 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक। (ii) ऊपर Rs.10cr। लेकिन रुपये तक 25 करोड़ (iii) Rs.25 करोड़ से अधिक लेकिन Rs.50 करोड़ तक (iv) Rs.50 करोड़ से अधिक	3.0 5.0 8.0 10.0
5	औसत शुद्ध लाभ या हानि (समान अवधि के लिए) क) कारोबार के 5 प्रतिशत से कम ख) 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन कारोबार के 10 प्रतिशत तक ग) कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक क) कारोबार के 5 प्रतिशत से कम ख) कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक के 5 प्रतिशत से अधिक ग) कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक के 10 प्रतिशत से अधिक	10 (अधिकतम) 5.0 7.5 10 -5 -7.5 -10
6	31 मार्च, 2021 को आवेदक कंपनी/एजेंसी की कुल संपत्ति; (i) रु। 5 करोड़। 10.00 करोड़ तक। ((ii)	10 (अधिकतम) 2.5 5.0

	रु. से अधिक। 10.00 करोड़। लेकिन रुपये तक। 25 करोड़। ((iii) रु. से अधिक। 25 करोड़। लेकिन Rs.50 करोड़ तक। ((iv) रु. से अधिक। 50.00 करोड़।	7.5 10.0
7	जीर्णोद्धार और पुनर्वास कार्यः (5 कहीं भी संचालित किसी भी खनन स्थल में पुनर्स्थापित और पुनर्स्थापित एक परियोजना/स्थल के लिए प्रत्येक को चिह्नित करता है)	10 (अधिकतम)

8	कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर पहल और वर्ष-दर-वर्ष निवेश की गई राशि	5 (अधिकतम)
9	15 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ खनन परियोजनाओं की संख्या सफलतापूर्वक पूरी की गई; (i) तीन या अधिक परियोजनाएं (ii) दो परियोजनाएं (iii) एक परियोजना	10 (अधिकतम).0 10.0 7.5 5.0
10	कंपनी के पेट पर डिफ़ॉल्ट के लिए कोई काली-सूची/पूर्व-परिपक्व समाप्ति	(-) 5
11	प्रस्ताव की तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर समिति द्वारा मूल्यांकन (i) वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन, सुरक्षा मानकों, खनन कार्यों में स्थल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना (संचालन में या अतीत में संचालित दो परियोजनाओं में प्रदर्शित) □□ (ii) प्रस्तुत समग्र सामान्य खनन दृष्टिकोण।	15
	योग्यता अंकः	60/100
नोट	केवल राज्य पत्थर खनन के लिए पूर्व-योग्यता के मामले में, विस्फोट कर्मचारियों के लिए निर्धारित 03 अंक राज्य पत्थर के खनन में अपनाई गई तकनीक के आधार पर दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदक को स्थल की तस्वीरों सहित सहायक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।	

खनन एजेंसियों के पैनल में शामिल करने के लिए 29.08.2012 पर एक पूर्व-प्रस्ताव सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिस पर खनन एजेंसियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था और आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।यह सम्मेलन संदेहों को स्पष्ट आदेश और खनन एजेंसियों के पैनल में शामिल आदेश के लिए आर. एफ. क्यू. में नियमों और शर्तों पर प्रतिक्रिया प्राप्त आदेश के लिए आयोजित किया गया था।

खनन खंडों की बोलियों/नीलामी में भाग लेने के लिए पूर्व-योग्यता के आधार पर जो 18.08.2012 पर जारी की गई थी।बैठक के कार्यवृत्त के पैराग्राफ-2 की मद संख्या 4 जो महत्वपूर्ण है, नीचे दी गई हैः-

2. प्रस्ताव-पूर्व सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनकी प्रतिक्रिया नीचे दी गई हैः-

क.स.।	प्रतिभागियों द्वारा किए गए अवलोकन/स्पष्टीकरण मांगे गए	सरकार की प्रतिक्रिया
4	क्या संयुक्त उद्यम/संघ अनुमत हैं। यदि हां, तो मानदंड/शर्तें क्या हैं। संयुक्त उद्यम/संघ के प्रमुख सदस्य/ भागीदार द्वारा पूरा किए जाने वाले मानदंड क्या हैं?	हां, संयुक्त उद्यमों और संघ और संघ को सूचीकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है बशर्ते प्रस्तुत करने या आवेदन करने से पहले एक एस. पी. वी. बनाया जाए। संघ के प्रमुख सदस्य को सभी तकनीकी मानकों को पूरा करना होता है और एसपीवी में बहुमत हिस्सेदारी (कम से कम 51 प्रतिशत) होनी चाहिए। इसके अलावा, बोली प्रक्रिया के बाद प्रमुख सदस्य को खनिज रियायत नहीं दी जाती है। इस संबंध में संशोधित नियमों के नियम 16 का संदर्भ दिया गया था।

(66) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, याचिकाकर्ता अपने आप में योग्य नहीं हैं। वे 60/100 के योग्यता अंक को पूरा नहीं करते हैं।यहां तक कि योग्यता की सीमा को भी अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है।खंड 8.6 काफी विस्तार से निर्धारित करता है कि योग्यता का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना है।इसके अलावा, खंड 8.4 में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतियों द्वारा से मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है।

समिति इसमें इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होते हैं।निर्णय लेने की प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं की योग्यता के मूल्यांकन के लिए समिति शामिल नहीं थी।कार्य की प्रकृति और पूर्व-योग्यता मानदंड के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो न केवल आवश्यक था बल्कि अनिवार्य भी था।

(67) इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी।

(68) निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक और कमजोरी है।हालाँकि वित्तीय प्रभावों के बारे में टिप्पणियां हैं, लेकिन ऐसा कोई गंभीर या गहन अध्ययन नहीं हुआ है जो यह संकेत दे कि यदि नई निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं तो प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव होंगे।इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया की श्री भारद्वाज की आलोचना कम से कम प्रथम दृष्टया अच्छी तरह से स्थापित है।यह प्रतिवादी संख्या 5 के प्रस्ताव और वचन से पुष्ट होता है कि नई बोलियां आमंत्रित किए जाने की स्थिति में वह 5 लाख रुपये से कम की राशि के लिए बोली लगाएगा। 150 करोड़ प्रति वर्ष।अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 ने 15 करोड़ रुपये की राशि का चेक दिया है। इस बात पर सहमति जताते हुए कि वचन का कोई भंग होने की स्थिति में उक्त Rs.15 करोड़ रुपये को आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा बिना किसी शर्त के विनियोजित किया जा सकता है जिसे आधिकारिक प्रतिवादी अदालत की अवमानना सहित वचन के भंग के लिए निजी प्रतिवादी के खिलाफ अपना सकते हैं।वास्तव में यदि इस रियायत के बिना भी वचन का भंग होता है तो प्रतिवादी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(69) याचिकाकर्ताओं ने आधिकारिक प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को संयुक्त उद्यम में के. जे. एस. एल. के 51 प्रतिशत हिस्से के हस्तांतरण की अनुमति देने या याचिकाकर्ताओं को के. जे. एस. एल. के स्थान पर पूर्व-योग्य पक्ष को शामिल करने की अनुमति देने का कोई परिणाम नहीं है।विकल्प निमंत्रण के नियमों और शर्तों और कानून के प्रावधानों के विपरीत थे।

(70) 29.08.2012 को आयोजित पूर्व-प्रस्ताव सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया था कि संयुक्त उद्यमों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि एस. पी. वी. आवेदन जमा करने से पहले बनाया गया हो।याचिकाकर्ताओं के मामले में पूरी प्रक्रिया बहुत बाद में हुई।

इसके अलावा केवल 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित की जा सकती थी।हालांकि, केजेएसएल ने अपनी पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी, न कि अपने हिस्से का 49 प्रतिशत।निर्णय लेने की प्रक्रिया में केजेएसएल द्वारा 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के हस्तांतरण की अनुमति देने के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। यदि केवल 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाती, तो केजेएसएल याचिकाकर्ताओं और नए भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से संयुक्त उद्यम के भागीदार के रूप में उत्तरदायी बना रहता।

(71) यह समझौता कानून के प्रावधानों के भी विपरीत है।यह 2012 के नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की खंड 15 के विपरीत है जो एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद सरकार द्वारा 10 साल से 20 साल के पट्टे देने को अनिवार्य करता है।याचिकाकर्ताओं के मामले में अनुच्छेद 21 और 22, जिनके बारे में हमने पहले उद्धृत किया था, इस न्यायालय के दिनांक 04.03.2015 के फैसले द्वारा प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है। इस न्यायालय द्वारा उस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की स्वीकृति याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच दिनांकित 05.08.2015 समझौते की वैधता के खिलाफ एक पूर्ण जवाब है।

(72) पहली बार में खंड 36 लागू नहीं होता है क्योंकि संयुक्त उद्यम और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया गया था।हालांकि, खंड 36 में पट्टा शब्द उन मामलों में भी लागू होगा जहां पट्टा प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट हो गया था।इसके विपरीत एक दृष्टिकोण एक बोलीदाता को पट्टे से पहले अपनी इच्छानुसार अपने हिस्से का हस्तांतरण करने में सक्षम बनाएगा जिससे खंड 36 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(73) पूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया इंगित करती है कि 05.08.2015 का समझौता केवल एक निरंतरता और मूल नीलामी प्रक्रिया का एक हिस्सा था।ऐसा होने के कारण और प्रक्रिया कई कारणों से त्रुटिपूर्ण होने के कारण, हम याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अनुबंध को इस आधार पर लागू करने में असमर्थ हैं कि राज्य किसी भी स्थिति में राज्य के

वाणिज्यिक उद्यम में भाग लेने के लिए इच्छुक अन्य सभी पक्षों को अवसर प्रदान किए बिना याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का अनुबंध देने का हकदार था।

(74) यदि दिनांकित 05.08.2015 समझौते को एक स्वतंत्र लेनदेन माना जाता है तो यह प्रतिवादी के लिए मामले को बदतर बनाता है क्योंकि यह नियम 9,16 (1) (2) (8) (9) और 50 के विपरीत भी होगा।

(75) यह तर्क कि खंड 36 एक आवश्यक शब्द नहीं है क्योंकि यह पांच साल की अवधि के बाद हस्तांतरण की अनुमति देता है, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।केवल इसलिए कि पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति पांच साल की अवधि के बाद दी जाती है, यह इंगित नहीं करता है कि खंड में अनुबंध की एक आवश्यक अवधि शामिल नहीं है।खंड स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल वही व्यक्ति इसके लिए कार्य बोली को निष्पादित करने के बारे में गंभीर हैं।दूसरे शब्दों में, इस शर्त का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टियां लाइसेंस/पट्टों में सट्टा लगाने/व्यापार के लिए बोलियां जमा न करें।

(76) याचिकाकर्ता प्रभावी रूप से जो चाहते हैं वह विशिष्ट निष्पादन का आदेश है। प्रत्यर्थियों-आधिकारिक और निजी-के मुकदमा में कम से कम यह कहा जाना चाहिए कि इस तरह की राहत की मांग रिट याचिका में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उचित रूप से गठित कार्रवाई जैसे कि वाद या में की जानी चाहिए।

यदि कोई मध्यस्थता समझौता है तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष।ऐसे कई अन्य मुद्दे भी हैं जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होंगे।यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ताओं ने एक मामला बनाया है, यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री दी जाएगी।उन्हें विशिष्ट प्रदर्शन के बदले नुकसान की केवल वैकल्पिक राहत दी जा सकती है।यह निश्चित रूप से यह मान रहा है कि उन्होंने अपना मामला स्थापित किया है।इस रिट याचिका को अनुमति देना अंततः प्रतिवादी को कई अन्य दलीलें उठाने से रोकने के बराबर होगा जो अन्यथा वे किसी मुकदमे या किसी अन्य मुकदमा कार्यवाही में हकदार होंगे।

(77) श्री भारद्वाज की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कांडला पोर्ट ट्रस्ट और अन्य में अदालत पर निर्भरता जोकि अच्छी तरह से स्थापित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

"**37.** किसान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न

सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड मामला [(2008) 12 सहकारी सी. 500] थेः((i)

क्या उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने/यह मानने में सही था कि कोई वैध अनुबंध था?और (ii) क्या उच्च न्यायालय सचिव (चीनी) के आदेश को रद्द करने में उचित था? इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था किः(एस. सी. सी. पीपी. 501-02)

"आम तौर पर, अनुबंध के भंग की शिकायत करने वाले पक्ष के लिए उपलब्ध उपचार हर्जाना मांगने के लिए होता है।यदि अनुबंध विशेष रूप से कानून में लागू होने में सक्षम था, तो वह विशिष्ट प्रदर्शन की राहत का हकदार होगा।अनुबंध के भंग के उपचार विशुद्ध रूप से अनुबंध के दायरे में होने के कारण दीवानी अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं।संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से सार्वजनिक कानून उपचार, अनुबंध के भंग या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हर्जाने की मांग करने के लिए उपलब्ध नहीं है।हालांकि, जहां संविदात्मक विवाद में एक सार्वजनिक कानून तत्व है, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामला वर्तमान मामले के तथ्यों के सबसे करीब है।

38. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रिट याचिका के माध्यम से

1 2015(13) एस. सी. सी. 233

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, केवल सार्वजनिक कानून उपचार का उपयोग किया जा सकता है।जहां तक संविदात्मक विवाद का संबंध है जो अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर है, उन मामलों में एकमात्र अपवाद के साथ जहां इस तरह के संविदात्मक विवाद में सार्वजनिक कानून का तत्व है।"

(78) हमारे सामने मामला सामान्य सिद्धांत से विचलन की गारंटी नहीं देता है।

(79) ऐसा कोई सार्वजनिक कानून सिद्धांत या मुद्दा नहीं है जो इस मामले में विशिष्ट प्रदर्शन के अनुदान की गारंटी देता हो।सार्वजनिक कानून का सिद्धांत वास्तव में मुकदमा कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को दीवानी मुकदमे जैसे किसी भी वैकल्पिक उपचार के लिए खारिज करने का आदेश देता है।जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, विशिष्ट प्रदर्शन एक विवेकाधीन राहत है।यह संभव है कि पहले से बताए गए कारणों के लिए न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन नहीं दे सकता है, भले ही याचिकाकर्ता आधिकारिक प्रतिवादी की ओर से भंग स्थापित करें।उस स्थिति में इस याचिका में नुकसान की गणना करना मुश्किल से संभव है।इसके अलावा, विशिष्ट निष्पादन का अनुदान अधिनियम और नियमों के विपरीत होगा।

(80) Dr.Singhvi की सर्वोच्च न्यायालय के मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य के निर्णय पर न्यायालय में निर्भरता अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं।उस मामले के तथ्य हमारे सामने मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं।इसके अलावा, यह केवल याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच का मामला नहीं है।निजी प्रतिवादी भी शामिल हैं।उन्होंने विशेष रूप से पट्टे और दिनांकित 05.08.2015 समझौते को स्थानांतरित करने की अनुमति को चुनौती दी है।उनकी चुनौती को आधिकारिक प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा लागू किए गए प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।हस्तांतरण की अनुमति और समझौते की शुद्धता स्वयं इस आधार पर प्रश्नगत है कि वे कानून के विपरीत थे और प्रतिवादी संख्या 5 और समान रूप से स्थित पक्षों जैसे तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करते थे।

(81) श्री सिंहल ने न्यायसंगत रूप से में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **3:-**

"33. आम तौर पर, सरकार के खिलाफ वचन विबंधन का सिद्धांत लागू किया जा रहा है और कार्यकारी आवश्यकता के आधार पर बचाव को अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2 2016(6) एस. सी. सी. 766

3 2011(3) एस. सी. सी. 193

हालाँकि, यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वे बाद में सामने आए हैं, सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे पर कायम रखना असमान होगा, तो अदालत वादा करने वाले के पक्ष में समानता नहीं बढ़ाएगी और सरकार के खिलाफ वादे को लागू करेगी।जहाँ लोकहित की आवश्यकता होती है, वहाँ वचन रोध के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।सरकार जनहित में नीति में बदलाव कर सकती है।हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस सिद्धांत से संकेत लेते हुए, प्राधिकरण को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं है या कानून द्वारा निषिद्ध है।कानून के तय किए गए प्रस्ताव के खिलाफ कोई वादा नहीं है।अधिनियम के विपरीत किए गए वादे को लागू करने के लिए वचन विबंधन के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी क़ानून के खिलाफ कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो।

41. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 14 और 21 के आधार पर, जब किसी प्राधिकरण को कोई विशेष कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो ऐसी शक्ति का समय-समय पर प्रयोग किया जा सकता है और इसके साथ पहले जारी की गई अधिसूचनाओं को वापस लेने, संशोधित करने, संशोधन करने या रद्द करने की शक्ति होती है, जिसका उपयोग उसी तरीके से और शक्ति के प्रयोग के साथ जुड़ी समान शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किया जा सकता है।यह प्रतिग्रहण करना करना बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण होगा कि एक बार तय की गई प्रभार्यता को बदला नहीं जा सकता है।चूँकि बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में प्रभार का प्रावधान छूट देने वाले अधिनियम की खंड 49 के तहत अधिसूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति के अधीन है, इसलिए राज्य सरकार, सामान्य खंड अधिनियम की खंड 21 को देखते हुए, हमेशा छूट अधिसूचना को वापस ले सकती है, रद्द कर सकती है, उसमें जोड़ सकती है या संशोधित कर सकती है।कोई भी उद्योग अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है कि सरकार को खंड 49 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और छूट की पेशकश करनी चाहिए और यह सरकार को तय करना है कि क्या शर्तें ऐसी हैं कि छूट दी जानी चाहिए या नहीं।”

(82) इस मामले में तथ्य याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार के सिद्धांत के आह्वान को अस्वीकार करने के लिए अधिक मजबूत हैं।यह विशेष रूप से इसलिए है

क्योंकि विवादित समझौता अधिनियम और नियमों, डीएनआईटी और कानून के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत था।

(83) डॉ. सिंघवी का तर्क है कि निजी प्रतिवादी के पास हैकोई सुने जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे बोली लगाने वाले नहीं थे जो अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।प्रत्येक पूर्व-योग्य पक्ष, चाहे उसने पिछली नीलामी में भाग लिया हो या नहीं, दिनांकित 05.08.2015 समझौते को चुनौती देने का हकदार होगा।यदि चुनौती बरकरार रहती है तो यह पार्टी को नई नीलामी में भाग लेने का अधिकार देगा।यदि पूर्व-योग्यता मानदंडों को कम कर दिया जाता है जैसा कि वे याचिकाकर्ताओं के मामले में रहे हैं, तो और भी अधिक पक्ष होंगे जो इस तरह से नई प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होंगे।दिनांकित 05.08.2015 समझौते में प्रवेश करके आधिकारिक प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के समान स्थित कई अन्य पक्षों को हरियाणा राज्य के वाणिज्यिक उद्यमों में भाग लेने से रोक दिया है।

(84) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और दूसरे बनाम एस. एल. एल.-एस. एम. एल. (ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम) और अन्य 4 में, उच्चतम न्यायालय ने

रमन्ना में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात को दोहराया

दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण **5,** कि

यदि अन्य लोग इस बात से अवगत थे कि पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी होने की पात्रता शर्त को पूरा न करना विचार के लिए एक बाधा नहीं होगी, तो उन्होंने भी एक निविदा प्रस्तुत की होगी, लेकिन पात्रता शर्त के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में ढील दी गई थी।इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में असमान व्यवहार हुआ जिसे अस्वीकार्य माना गया।सुप्रीम कोर्ट ने कहाः-

"35. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अन्य (जैसे अपीलकर्ता)

रमण दयराम शेट्टी मामले में [रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी.

489]) इस बात से अवगत थे कि पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी होने की पात्रता शर्त को पूरा न करना विचार के लिए एक बाधा नहीं होगी, उन्होंने भी एक निविदा प्रस्तुत की होगी, लेकिन पात्रता शर्त के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया था, जिसे प्रतिवादी 4 के मामले में ढील दी गई थी।इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी 4 के पक्ष में असमान व्यवहार हुआ-ऐसा व्यवहार जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था।इस पर व्याख्या करते हुए, यह आयोजित किया गया था:(एस. सी. सी. पी. 504, पैरा 10)

“10. … यह वास्तव में अकल्पनीय है कि कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में कार्यकारी सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के पास कानून पर मनमानी शक्ति होनी चाहिए।

4 2016(8) एस. सी. सी. 622

5 (1979) 3 एससीसी 489

व्यक्ति के हित।कार्यकारी सरकार की प्रत्येक कार्रवाई को तर्क के साथ सूचित किया जाना चाहिए और मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए।यही कानून के शासन का सार है और इसकी न्यूनतम आवश्यकता है।और इसके लिए इस सिद्धांत को लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शक्ति के प्रयोग में किसी अधिकार को प्रभावित करना या किसी विशेषाधिकार को अस्वीकार करना शामिल है (जोर दिया गया है)।

(85) सार्वजनिक कानून सिद्धांत या मुद्दा वास्तव में पट्टे को स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए अनुबंध को रद्द करने और प्रतिवादी के पक्ष में 05.08.2015 दिनांकित समझौते को उचित ठहराता है क्योंकि उन्होंने अन्य बोलीदाताओं को आधिकारिक प्रतिवादी के वाणिज्यिक उद्यम में भाग लेने से रोक दिया था।यदि याचिकाकर्ताओं के समान योग्यता वाले अन्य लोगों पर पात्रता की शर्तों पर जोर नहीं दिया जाता तो वे खदानों के लिए बोली लगाने के हकदार होते।

(86) हमने 14.09.2016 दिनांकित आदेश और निर्णय का उल्लेख किया जिसने जनहित याचिका का निपटारा किया। निजी प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की सिविल रिट याचिका No.9419।निजी प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने वाले दिनांक 17.06.2015 के आदेश को चुनौती दी थी और आधिकारिक प्रतिवादी को उक्त खदान के आवंटन के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने का निर्देश देने के आदेश की भी मांग की थी।उस रिट याचिका पर याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए दिनांक 09.08.2016 के कारण बताए जाने के नोटिस को देखते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था।फैसले में कहा गया कि यह नोटिस उन्हीं अधिकारों के संबंध में था जो रिट याचिका का विषय थे।प्रतिवादी द्वारा 2016 की सिविल रिट याचिका सं 16735 में कारण बताए जाने के नोटिस दिनांकित 09.08.2016 को निर्णय दिनांकित 27.08.2016 के आदेश में आधिकारिक प्रतिवादी की ओर से बयान दर्ज किया गया कि पक्षों को सुना गया है और निर्णय पक्षों को सूचित किया जाएगा।

(87) इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 की सिविल रिट याचिका 9419 का निपटान करने के लिए 2016 के दिनांकित 14.09.2016 के आदेश में के गुण-दोष पर विचार किए बिना

निजी उत्तरदाताओं की दलीलों का निपटान किया गया। इस प्रकार निजी प्रतिवादी की दलीलों को खुला रखा गया था, जिसमें कारण बताएँ नोटिस की सुनवाई भी शामिल थी और सभी पक्षों को न केवल कारण बताएँ नोटिस के अनुसार पारित किए जाने वाले आदेश के संबंध में, बल्कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की सिविल रिट याचिका No.9419 में दावा की गई अन्य राहतों के संबंध में भी एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।इसलिए, इस न्यायालय ने निजी प्रतिवादी के पक्ष में पट्टे के हस्तांतरण और 05.08.2015 दिनांकित समझौते को चुनौती देने के निजी प्रतिवादी के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता दी है।यदि वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आधिकारिक प्रतिवादी की कार्रवाई नहीं की गई होती, तो इस न्यायालय के लिए निजी प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की सिविल रिट याचिका No.9419 पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना आवश्यक होता।विवादित कार्रवाई के कारण इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है।निजी प्रतिवादी को सफल होने और आधिकारिक प्रतिवादी और याचिकाकर्ताओं के बीच समझौते को रद्द/रद्द करने के बाद भी बदतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।

(88) यह निवेदन कि आक्षेपित कार्रवाई केवल राय परिवर्तन पर आधारित है, इस मामले के तथ्यों में अप्रासंगिक है, भले ही यह अच्छी तरह से स्थापित हो।जैसा कि हमने सारांश में उल्लेख किया है कि यह केवल याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादी के बीच का मामला नहीं है, जिसका निर्णय केवल इस बात पर विचार करते हुए किया जा सकता है कि समझौते में प्रवेश करने वाले आधिकारिक उत्तरदाता इसे रद्द करने के हकदार थे या नहीं।प्रतिवादी संख्या 5-निजी प्रतिवादी के अधिकार और विवाद भी विचार के लिए आते हैं।

(89) यह तर्क कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और विलंब के कारण प्रतिवादियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, भी खारिज कर दिया जाता है। केजेएसएल की वापसी और 05.08.2015 दिनांकित समझौते के बीच की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं थी।यह विशुद्ध रूप से राज्य और एक निजी पक्ष अर्थात् याचिकाकर्ताओं के बीच एक द्विदलीय व्यवस्था थी।इस प्रक्रिया में अन्य सभी पक्ष शामिल नहीं थे।यह 20 साल का समझौता था।याचिका को अनुमति देना दिनांकित 05.08.2015 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को मंजूरी देने के बराबर होगा।वास्तव में कोई देरी नहीं हुई थी।निजी प्रतिवादी ने 12.01.2016 द्वारा नवीनतम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत

पूछताछ की।हालाँकि यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आवेदन के जवाब में इसे 10.03.2016 दिनांकित पत्र में संदर्भित किया गया है।इस पत्र का उल्लेख निजी प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की उक्त सिविल रिट याचिका संख्या 9419 में किया गया है। हम पहले ही जवाब के पैराग्राफ-9 को निर्धारित कर चुके हैं जिसमें कहा गया था कि पट्टे से संबंधित फाइल राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी और "वर्तमान में" राज्य सरकार के खनन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी।

यह कहा गया था कि आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित फाइल की प्राप्ति पर ही प्राप्त की जा सकती हैं।आज तक इसे पेश नहीं किया गया है।निजी प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं को पट्टे के हस्तांतरण को चुनौती देते हुए 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 9419 दायर की।निजी उत्तरदाताओं के तर्क को देरी के आधार पर शायद ही खारिज किया जा सकता है।देरी, यदि कोई हो, तो केवल कुछ महीनों की थी।यह 20 वर्षों की अवधि के लिए इस परिमाण का लाभ प्रदान करने में एक अदालत को उचित नहीं ठहरा सकता है, हालांकि याचिकाकर्ता काम करने के लिए स्वीकार्य और स्पष्ट रूप से अयोग्य हैं और समझौता अधिनियमों और नियमों और डीएनआईटी की शर्तों के विपरीत है।

(90) डॉ. सिंघवी ने यह भी कहा कि अनुबंध को रद्द करना राज्य सरकार के लिए वित्तीय रूप से खतरनाक होगा।याचिकाकर्ता अनुबंध की समाप्ति के कारण हर्जाने का दावा करेंगे। राज्य सरकार को नई नीलामी में समान कीमत नहीं मिल सकती है।याचिकाकर्ताओं द्वारा खनन की समाप्ति और नई नीलामी के अनुसार खनन शुरू होने के बीच की अवधि के दौरान, राज्य सरकार रॉयल्टी आदि से वंचित रहेगी।

(91) यह राज्य सरकार का काम है कि वह अपने निर्णय के वित्तीय प्रभावों का आकलन करे।यह अपने व्यावसायिक/वाणिज्यिक हितों का सबसे अच्छा न्यायकर्ता है।हम इस संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।राज्य सरकार अपने जोखिम पर निर्णय लेती है।हम इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम के बारे में अटकलें लगाने से बचते हैं।

(92) यह तर्क कि यदि एक नई नीलामी आयोजित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 5 भाग लेने के लिए अयोग्य होगा, इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर पूर्वाग्रह के बिना भी मांग का भुगतान करके हमेशा कमी का ध्यान रखा जा सकता है।

प्रतिवादी सं. 5 का अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसा करने का वचन स्वीकार किया जाता है।

(93) विभिन्न कारणों और विभिन्न कारकों के कारण मामला पूरी तरह से अलग हो सकता है।यदि वास्तव में किसी भी कार्यवाही में निजी उत्तरदाताओं के दुर्भावनापूर्ण आरोप स्थापित हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के मुआवजे या हर्जाने के हकदार होने का कोई सवाल ही नहीं होगा।यदि उदाहरण के लिए दिनांकित समझौते की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया में धोखाधड़ी स्थापित की जाती है, तो यह तथ्य कि संयुक्त उद्यम को अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं से मुक्त कर दिया गया था, याचिकाकर्ताओं की सहायता के लिए भी नहीं आ सकता है।हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि ये टिप्पणियां केवल यह इंगित करने के लिए की गई हैं कि पूरा मामला राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के बीच खुला है और इसलिए, इस स्तर पर, न्यायालय के लिए संयुक्त उद्यम द्वारा जमा की गई राशि की वापसी का आदेश देना भी संभव नहीं है।

(94) डॉ. सिंघवी ने कहा कि सरकार को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।उनका तर्क यह है।उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व-अनुबंध चरण और अनुबंध के बाद के चरण के बीच अंतर है।किसी भी अवैधता या आवश्यक नियमों और शर्तों के संशोधन की अनुमति पूर्व-अनुबंध स्तर पर नहीं दी जा सकती है।हालांकि, एक बार अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, सरकार को अनुबंध को संशोधित करके जोड़ों में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि यह ईमानदारी से किया जाता है और काम के उचित निष्पादन के लिए।वर्तमान मामले में संयुक्त उद्यम के पक्ष में एल. ओ. आई. पहले ही जारी किया जा चुका था। संयुक्त उद्यम स्वीकार्य रूप से योग्य था।इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में शर्तों में ढील देकर पात्रता की शर्तों में संशोधन किया गया।

(95) यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह राज्य और उसके उपकरणों को ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक सिद्धांत के विपरीत सबसे मनमाने तरीके से कार्य करने का अधिकार देगा।नीलामी या एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों के आधार पर एल. ओ. आई. जारी करने और उसके बाद पूरी तरह से अलग मानदंडों, नियमों और शर्तों पर अनुबंध करने के सरल उपाय से सार्वजनिक नीलामी की शर्तों और निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना का उल्लंघन किया जा सकता है।एक बार अनुबंध में प्रवेश करने

के बाद, पक्ष निस्संदेह कुछ संशोधनों के लिए सहमत होने के हकदार होंगे जब तक कि वे प्रामाणिक हैं और अनुबंध के उचित कार्यान्वयन के उद्देश्य से जो कानूनी रूप से किया गया था जो हमारे सामने मामला नहीं है।उदाहरण के लिए अनुबंध पूरा करने की तारीख बढ़ाने के कई उचित कारण हो सकते हैं।अनुबंध/एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों के अनुसार काम के दायरे में कमी या उसमें वृद्धि हो सकती है। परीक्षण यह होगा कि क्या स्थिति की अनिवार्यताओं के कारण संशोधन की आवश्यकता थी या क्या यह केवल किसी पक्ष को एन. आई. टी. या सार्वजनिक नीलामी के नियमों और शर्तों को दरकिनार करने में सक्षम बनाने के लिए था।वर्तमान मामले में एल. ओ. आई. जारी किया गया था। एल. ओ. आई. ने कानून के प्रावधानों और नोटिस के नियमों और शर्तों के अनुसार समझौते के निष्पादन पर विचार किया और वास्तव में इसकी आवश्यकता थी।यह स्वीकार्य रूप से मामला नहीं था क्योंकि 05.08.2015 दिनांकित समझौता उस पक्ष के साथ किया गया था जो योग्य नहीं था।

(96) आधिकारिक प्रतिवादी के पट्टे को हस्तांतरित करने की अनुमति को रद्द करने और नए आधारों पर 05.08.2015 दिनांकित समझौते को समाप्त करने के हकदार नहीं होने का सवाल, यानी कारण बताएँ नोटिस में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधार वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होते हैं।जैसा कि पहले कहा गया है, निजी प्रतिवादी ने 2016 की रिट याचिका संख्या 9419 दाखिल करके हस्तांतरण की अनुमति और समझौते को चुनौती दी थी।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कारण दर्शाओ नोटिस को चुनौती देने के लिए 2016 को रिट याचिका दायर No.16735 दायर की थी

इन रिट याचिकाओं का निपटारा इस न्यायालय के आदेशों और निर्णयों द्वारा किया गया था जिसमें आधिकारिक प्रतिवादी को निजी प्रतिवादी सहित सभी पक्षों की सभी दलीलों पर विचार करने के बाद एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।इस प्रकार आधिकारिक उत्तरदाता किसी भी स्थिति में निजी प्रतिवादी की ओर से उठाई गई दलीलों पर विचार करने के लिए बाध्य थे।निजी प्रतिवादी की याचिका पर कारणदर्शक नोटिस

और उस पर निर्णय लेने से पहले निजी प्रतिवादी को सुनवाई के लिए दिए जाने को देखते हुए गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की गई।यदि हम डॉ. सिंघवी के निवेदन को प्रतिग्रहण करना करते हैं, तो निजी प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की रिट याचिका को पुनर्जीवित करना आवश्यक होगा, जो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा और केवल मामले में देरी करेगा।इसलिए हम इस आधार पर अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, भले ही यह अच्छी तरह से स्थापित हो।

(97) इन परिस्थितियों में याचिका का निपटारा निम्नलिखित आदेश द्वारा किया जाता हैः

(98) याचिका में दावा की गई राहत को खारिज कर दिया जाता है।

(99) डॉ. सिंघवी ने विकल्प में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल दिनांकित समझौते के उद्देश्य और उसके संबंध में दी गई क्षतिपूर्ति और गारंटी को खारिज कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को नुकसान और मुआवजे के लिए उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता है।इस संबंध में पक्षकारों के सभी अधिकार और विवाद खुले रखे जाते हैं।

(100) श्री सिंहल का यह कथन कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा देय राशि की कटौती करने के बाद, आधिकारिक उत्तरदाता रुपये की राशि से शेष राशि, यदि कोई हो, वापस कर देंगे। संयुक्त उद्यम द्वारा याचिकाकर्ताओं को जमा किए गए 28.75 करोड़ स्वीकार किए जाते हैं, न कि के. जे. एस. एल. को।यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिवादियों का बयान है और न्यायालय का निर्देश नहीं है क्योंकि केजेएसएल न्यायालय के समक्ष नहीं है।नई निविदा प्रक्रिया 31 अगस्त, 2017 तक पूरी हो जाएगी और आधिकारिक प्रतिवादी इसके बाद चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में निर्णय से अवगत कराएंगे।पक्षकारों को आवेदन करने की स्वतंत्रता।

(101) दिनांक 06.10.2016 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी को याचिकाकर्ताओं को उस पक्ष द्वारा प्रस्तुत उच्च बोली, यदि कोई हो, जिसके लिए खनन अधिकार दिए गए हैं, और 06.10.2016 अवधि के लिए Rs.115 करोड़ के बीच के अंतर का भुगतान करने का निर्देश देकर समायोजित किया जाता है, जब तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा साइट का कब्जा उस पर ब्याज के साथ की तारीख से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से नहीं सौंप दिया जाता है।

भुगतान और/या प्राप्ति तक अंतरिम आदेश अर्थात 06.10.2016।आधिकारिक प्रतिवादी के पहले की अवधि के लिए राशि का दावा करने के अधिकार खुले रखे जाते हैं। संयुक्त उद्यम द्वारा जमा की गई राशि को इस राशि की वसूली के लिए समायोजित किया जा सकता है।पक्षकार शेष राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कार्यवाही अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(102) यदि बोली Rs.115 करोड़ से कम है, तो याचिकाकर्ता Rs.115 करोड़ और कम बोली के बीच के अंतर का हकदार नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता किसी भी स्थिति में Rs.115 करोड़ की दर से काम करने के लिए सहमत हुए थे।

(103) श्री सिंहल का यह कथन कि नई नीलामी प्रक्रिया में आरक्षित बोली Rs.115 करोड़ से कम नहीं होगी, स्वीकार किया जाता है।

(104) निजी प्रतिवादी अर्थात प्रतिवादी सं. 5 की ओर से श्री भारद्वाज का वचन कि यदि नई निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं या नई नीलामी आयोजित की जाती है, तो प्रतिवादी सं.5 को 150 करोड़ की न्यूनतम बोली लगानी है, स्वीकार कर लिया जाता है।पूर्ववर्ती अवसर पर प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से बोली लगाने के लिए मांगी गई कुल 15 करोड़ की राशि आधिकारिक प्रतिवादी के द्वारा जमा की जाएगी।प्रतिवादी सं. 5 द्वारा न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की बोली लगाने और अनुबंध को लागू करने के लिए, यदि कोई हो, वचन का भंग करने की स्थिति में, यह राशि प्रतिवादी सं. 5 के खिलाफ किसी अन्य उपाय के अलावा आगे के आदेशों के बिना जब्त कर ली जाएगी, जिसमें इस वचन के भंग के लिए अदालत की अवमानना भी शामिल है।यह नई प्रक्रिया में पात्रता की शर्त के अधीन है जो प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिक कठिन नहीं है।प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से आधिकारिक प्रतिवादी के पास 15 करोड़ रुपये 31.07.2017 तक जमा कराने आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर किसी भी भुगतान के कारण उनकी अयोग्यता का ध्यान रखने का वचन, नई नीलामी या निविदा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उनके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, स्वीकार किया जाता है।

(105) अंतरिम आदेश 31 जुलाई, 2017 तक जारी रहेगा ताकि याचिकाकर्ता इस फैसले को चुनौती दे सकें।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

कमलेश
अनुवादकर्ता